पत्रांक–17/एल 2–07/12 - 383(17)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सांवर भारती,

प्रशासी पदाधिकारी

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,

वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक– 15/3/13

विषयः–डा0 राजीव कुमार रजक, सहायक प्राध्यापक, हड्डी विभाग पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना का दिनांक–12.06.98 से दिनांक–16.06.2000 तक अद्यतन अवकाश को असाधारण अवकाश के रूप में स्वीकृत अवधि को वेतनवृद्धि के पक्ष में परिगणित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि विभागीय पत्रांक 430(17) दिनांक–27.03.12 द्वारा डा0 राजीव कुमार रजक, सीनियर रेजिडेंट, सम्प्रति सहायक प्राध्यापक, हड्डी विभाग, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना के अद्यतन अवकाश दिनांक–12.06.98 से 16.06.2000 की अवधि को असाधारण अवकाश के रूप में पेंशन प्रदायी सेवा मानते हुए विनियमित किया गया है।

डा0 रजक द्वारा इस असाधारण अवकाश के रूप में स्वीकृत अवधि को वेतनवृद्धि के पक्ष में भी परिगणित करने का अनुरोध किए जाने पर सम्यक विचारोपरान्त वित्त विभागीय परिपत्र सं0 9154 (वि0)(2) दिनांक–20.11.2003 के आलोक में उपर्युक्त अवधि दिनांक–12.06.98 से 16.06.2000 को वेतनवृद्धि के पक्ष में परिगणित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

विश्वासभाजन

15/3/13

(सांवर भारती)

प्रशासी पदाधिकारी

ज्ञापांक–17/एल 2–07/12 - 383(17) पटना, दिनांक– 15/3/13

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना/प्राचार्य, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– डा0 राजीव कुमार रजक, सहायक प्राध्यापक, हड्डी विभाग पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई0 टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

15/3/13

प्रशासी पदाधिकारी

D/Balram Sir/Pansion file